संख्याः– 140/उन्तीस/05–2(65पे0)/2004

प्रेषक,

कुँवर सिंह
अपर साचिव
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तराचल पेयजल निगम,
देहरादून।

पेयजल अनुभाग देहरादनः दिनांकः 15 फरवरी, 2005

विषय जनपद देहरादून के विकास खण्ड डोईवाला की रायवाला–प्रतीतनगर पुनर्गठन पेयजल योजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय पत्राक 700/अप्रेजल देहरादून/दिनाक–11.01.2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र पुरोनिधानित त्वरित ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तावित जनपद देहरादून के विकास डोईवाला की भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित रायवाला–प्रतीतनगर पुनर्गठन पेयजल योजना अनु0लागत रू0 179.18 लाख के प्राक्कलन का परीक्षणोपरान्त टी0ए0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि रू0 149.95 लाख (रू0 एक करोड़ उन्चास लाख पिचानब्बे हजार मात्र) की लागत के आगणन पर श्री राज्यपाल प्रशासकीय एंव वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

(1) आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों का जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गयी हों, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा ।

(2) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन एवं मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

(3) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत मानक है, स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय ।

(4) एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(5) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एंव लोक निमार्ण विभाग/उत्तराचंल पेयजल निगम द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों

के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(6) कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य करा लें । निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

(7) आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए ।

(8) निमार्ण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए।

(9) योजना पर धनराशि का व्यय त्वरित ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जायेगा।

(10) योजना के कार्य स्वीकृत लागत के अन्तर्गत ही पूर्ण कराये जायें तथा किसी भी दशा में पुनरीक्षित लागत मान्य नहीं होंगी। कार्यो की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(11) व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका एंव मितव्ययता के विषय में शासन द्धारा समय–समय पर निर्गत आदेशो का अनुपालन किया जायेगा ।

(12) कार्यो में सेन्टेज चार्जेज निर्धारित दर के अनुसार लिया जायेगा जो कि किसी भी दशा में 12.5% से अधिक नहीं होगा। यदि इससे अधिक सेन्टेज लेना पाया जाता है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष का होगा।

2. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0 356/वित्त अनु0–3/2005 दिनांक 11 फरवरी, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं । भवदीय

(कुँवर सिंह)
अपर सचिव

संख्या– 140(1)/उन्तीस/05–2(65पे0) 2004, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 महालेखाकार,, उत्तराचंल देहरादून ।
2 अधिशासी अभियन्ता ,परिकल्प शाखा उत्तराचंल पेयजल निगम,देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया सम्बन्धित अवर अभियन्ता /सहायक अभियन्ता को शासन में भेजकर आगणन में की गयी कटोतियों को नोट करने हेतु निर्देशित करें
3 मण्डलायुक्त गढ़वाल मण्डल ।
4 जिलाधिकारी, देहरादून ।
5 मुख्य महाप्रबन्धक उत्तराचंल जल संस्थान,देहरादून ।
6 निजी सचिव मा0 मुख्य मंत्री/पेयजल मंत्री ।
7 वित्त अनुभाग–3/ नियोजन प्रकोष्ट ।
8 निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से
(कुँवर सिंह)
अपर सचिव